

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक १५.३.९६ को सम्पन्न हुई वर्ष १९९६ की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

दिनांक १५.३.९६ की बैठक में निम्नलिखित महस्य उपस्थित थे :-

- |    |                                                                                                        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| १. | श्री माता प्रसाद,<br>अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।                                                 | अध्यक्ष |
| २. | श्री ए०पी० सिंह,<br>प्रमुख सचिव, आवास,<br>उ०प्र० शासन, लखनऊ ।                                          | सदस्य   |
| ३. | श्री मोहिन्दर सिंह,<br>आवास आयुक्त,<br>उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,<br>लखनऊ ।                          | सदस्य   |
| ४. | श्री के०पी० सिंह,<br>विशेष सचिव, उ०प्र० शासन<br>(सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि)              | सदस्य   |
| ५. | श्री विजय बहादुर सिंह,<br>संयुक्त सचिव,<br>वित्त, उ०प्र० शासन ।<br>(प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि ।) | सदस्य   |
| ६. | श्री ए०के० शर्मा,<br>मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,<br>उ०प्र० लखनऊ ।                                    | सदस्य   |
| ७. | श्री प्रेम कुमार पाण्डेय,<br>प्रबन्ध निदेशक,<br>जल निगम, लखनऊ ।                                        | सदस्य   |
| ८. | श्री एस०के० वर्मा,<br>मुख्य अभियन्ता,<br>उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,<br>लखनऊ ।                        | सदस्य   |
| ९. | श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,<br>अपर आवास आयुक्त एवं सचिव,<br>उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,<br>लखनऊ ।        | सचिव    |

विशेष आमन्त्री के रूप में :

- |    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| १. | श्री ए०के० पचौरी,<br>मुख्य वास्तुविद् नियोजक, |
| २. | श्री जी०सी० हेमनानी,<br>वित्त नियन्त्रक ।     |

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया :-



क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
१	२	३	४
१.	परिषद की तृतीय बैठक दि० १०.१०.९५ की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	प्रथम/(१)/९६	पुष्टि की गयी ।
२.	परिषद की तृतीय बैठक दि० १०.१०.९५ की अनुपालन आख्या ।	प्रथम/(२)/९६	अवलोकित की गयी ।
३.	अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थाईकरण के संबंध में ।	प्रथम/(३)/९६	प्रकरण सार्वजनिक उद्यम विभाग से परीक्षणोपरान्त आख्या अध्येक्ष महोदय के आदेशार्थ प्रस्तुत की जाय ।
४.	अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों को स्थाई किये जाने के— संबंध में ।	प्रथम/(४)/९६	प्रकरण सार्वजनिक उद्यम विभाग से परीक्षणोपरान्त आख्या अध्येक्ष महोदय के आदेशार्थ प्रस्तुत का जाय ।
५.	रिट पिटीशन सं०-९३०८/८४ श्री बैजनाथ दुवे बनाम परिषद में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० ११.९.९५ व २८.९.९५ के परिप्रेक्ष्य में याची श्री बैजनाथ दुवे के साथ परिषद के सहायक अभियन्ता श्री एच०एन० सिंह द्वारा निर्धारित अनुवन्ध दि० १३.३.८९ के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्वीकृति के संबंध में ।	प्रथम/(५)/९६	अवलोकित किया गया । साथ ही आवास आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि मा० उच्च न्यायालय का समादर करते हुये श्री दुवे से न्यायालय से बाहर समझौता करने के प्रयास जारी है । यह भी सूचित किया गया कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा श्री दुवे द्वारा दायर रिट याचिका सं०-९३०८/८४ में कतिपय बिन्दुओं पर आवास आयुक्त को दि० २७.३.९६ तक प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये है । यह भी बताया गया कि इस प्रकरण में अपर आवास आयुक्त को जाँच के आदेश दिये गये है ।
६.	हड़को पोषित ९ योजनाओं में स्वीकृत ऋण रू० ११६४.७० लाख की सामान्य शर्तों के संबंध में ।	प्रथम/(६)/९६	अवलोकित किया गया तथा मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि परिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जाने वाली सभी योजनाओं में मलोत्सारण (Sewer-Disposal) का प्राविधान अवश्य होना चाहिये ।
७.	परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकरण हेतु आय सीमा में वदोत्तरी किये जाने के संबंध में ।	प्रथम/(७)/९६	अनुमोदित किया गया ।
८.	मा० लोक आयुक्त, उ०प्र० के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९२ में आवास विकास परिषद के संबंध में की गयी संस्तुतियों का कार्यान्वयन ।	प्रथम/(८)/९६	अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में पंजीकरण नगरवार किये जाने के स्थान पर योजनावार किया जाय ।
९.	वर्ष १९९३-९४ की वैलेन्सशीट हेतु परिषद की व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	प्रथम/(९)/९६	अनुमोदित किया गया ।
	वेतिहाता(पूर्वी) योजना गोरखपुर में स्थित खसरा सं०-२७९/१ की ३०.४० वर्ग मीटर भूमि समायोजित किये जाने के संबंध में ।	प्रथम/(१०)/९६	इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि समायोजन की जाने वाली भूमि विकास शुल्क वर्तमान दर के स्थान पर विकास कार्य सम्पादित किये जाने के समय प्रचलित दर से लिया जायेगा तथा अवशेष भूमि का प्रतिकर भू-स्वामी को नियमानुसार दिया जायेगा ।



69/71

१	२	३	४
११.	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फौलद हासिल एवं प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	प्रथम/(११)/९६	अनुमोदित किया गया ।
१२.	वसुन्धरा योजना सं०-३ गाजियाबाद के सेक्टर-१४ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत मेटल मिनरल टैनिंग कारपोरेश लिमिटेड(भारत सरकार का उपक्रम) के स्टाफ हेतु ६२/११३ प्रकार के सेमी फिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(१२)/९६	अनुमोदित किया गया ।
१३.	वसुन्धरा योजना सं०-३, गाजियाबाद के सेक्टर-२ वी व २ सी में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-९६ए के अन्तर्गत २ नग फिनिशड एवं २५ नग सेमी फिनिशड(६२/११३) प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(१३)/९६	अनुमोदित किया गया ।
१४.	वसुन्धरा यो० सं०-३, गाजियाबाद के सेक्टर-१३ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-९६ए के अन्तर्गत १५ नग १९/४३ प्रकार के फिनिशड एवं १९ नग २०/४९ प्रकार के सेमी फिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(१४)/९६	अनुमोदित किया गया ।
१५.	वसुन्धरा यो० सं०-३, गाजियाबाद के सेक्टर-२ वी व २ सी के स्वयं वित्त पोषित परियोजना-९६वी के अन्तर्गत ४ नग फिनिशड एवं २३ नग सेमी फिनिशड(६२/११३) प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(१५)/९६	अनुमोदित किया गया ।
१६.	वसुन्धरा यो० सं०-३, गाजियाबाद के सेक्टर-१४ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-९६वी के अन्तर्गत १७ नग फिनिशड(६१/१४२) प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	प्रथम/(१६)/९६	अनुमोदित किया गया ।
१७.	वसुन्धरा यो० सं०-३, गाजियाबाद के सेक्टर-२ वी व २ सी में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-९६वी के अन्तर्गत १ नग फिनिशड एवं ५८ नग सेमी फिनिशड	प्रथम/(१७)/९६	अनुमोदित किया गया ।



१	२	३	४
	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने करने के सम्बन्ध में।		
१८-	वसुन्धरा यो० सं०-३, गाजियाबाद के सेक्टर-२वाँ व २सी में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-१६ए के अन्तर्गत ६ नग फिनिशड एवं १५ नग सेमी फिनिशड ग्राइफ-२(४३/६१ प्रकार)के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१८)/१६	अनुमोदित किया गया ।
१९-	लोहियनगर विस्तार योजना लखनऊ के वाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	प्रथम/(१९)/१६	अनुमोदित किया गया ।
२०-	परिषद की पठानपुरा योजना सं०-५, सहारनपुर में स्थित भूखण्ड संख्या-७३ के संबंध में।	प्रथम/(२०)/१६	इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि मध्यम आय वर्ग भवन सं०-१५ आवंटित किया जाय। भूखण्ड सं०-७३ के संबंध में यह निर्णय लिया कि परीक्षण के पश्चात् यदि अतिरिक्त विद्युत स्टेशन के लिए इस भूखण्ड की आवश्यकता न हो तो इसका नीलामी से निस्तारण कराया जाये।
२१-	परिषद की ऋषिकेश योजना में शिक्षण संस्थानों को भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रथम/(२१)/१६	अनुमोदित किया गया ।
२२-	परिषद की कटरा योजना बस्ती में श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह को प्रदिष्ट भूखण्ड सं० :३० पर देय व्यञ्ज की माफी के संबंध में।	प्रथम(२२)/१६	अनुमोदित किया गया ।
२३-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ स्थित स्वयं वित्त पोषित भवन संख्या-१२/७१४/१ के संबंध में।	प्रथम/(२३)/१६	अनुमोदित किया गया ।
२४-	परिषद की जनकपुरी योजना वरेली स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं०- सी-१ के विरुद्ध देय दण्ड व्यञ्ज को माफ करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(२४)/१६	अनुमोदित किया गया ।
२५-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-९ में भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति को १००० वर्गमी० भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रथम/(२५)/१६	स्थगित किया गया।
२६-	श्री भूप सिंह शर्मा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को परिषद की सुहागनगर योजना फिरोजाबाद में आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं० १/४३६ के संबंध में।	प्रथम/(२६)/१६	अनुमोदित किया गया।
२७-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के से०-२५ में मनोरंजन पार्क हेतु आरक्षित ८.२५ एकड़ भूमि को निर्जा उन्मिच्छ के माध्यम से विक्रयित कराये जाने के संबंध में।	प्रथम/(२७)/१६	स्थगित किया गया ।




2	3	4
परिषद की मंगल पाण्डेय नगर योजना, मेरठ के अन्तर्गत श्री समर पाल सिंह, मा0 विधायक(एम.एल.सी.) को आबंटित भवन सं0-168 के संबंध में।	प्रथम/(28)/96	अनुमोदित किया गया।
भवन सं0-4/276 अल्प आय वर्ग लोहिया नगर, लखनऊ के दण्ड ब्याज माफ किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(29)/96	केवल 5 1/2 प्रतिशत की दर से देय अतिरिक्त ब्याज ही माफ करने का निर्णय लिया गया।
परिषद की काशीपुर योजना में डी.एस. एम. शहर काशीपुर लि0 के पक्ष में 53 एल.आई.जी. भवन तथा 5 दुर्बल आय वर्ग भवनों का आबंटन।	प्रथम/(30)/96	इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि आबंटन के समय 50 % धनराशि तथा शेष 50 % किश्तों में एक वर्ष में लिया जाय।
जन सुविधाओं संबंधी शासकीय संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आबंटन के संबंध में।	प्रथम/(31)/96	स्थगित किया गया।
परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के अन्तर्गत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को प्रदिष्ट 19,900 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में।	प्रथम/(32)/96	स्थगित किया गया।
परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ में झुग्गी-झोपड़ी वासियों को साइट एण्ड सर्विस भूखण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में।	प्रथम/(33)/96	अनुमोदित किया गया।
30 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में निर्मित अनिस्तारित सम्पत्तियों के मूल मूल्यांकन की आरक्षित दर पर नीलामी के द्वारा निस्तारित किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(34)/96	इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि साइट एण्ड सर्विसेज तथा दुर्बल आय वर्ग भवनों के संबंध में एक बार समुचित पूर्व प्रचार कराकर नीलामी किया जाना पर्याप्त होगा। नीलामी न होने पर नियमानुसार आबंटन किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि अलोकप्रिय व्यावसायिक सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश सं0-1142/9-आ-1-1996 दि0 11.3.96 के अनुसार किया जाय।
परिषद द्वारा कानपुर नगर में संचालित योजना में निर्माण एवं विकास कार्यों में व्याप्त अवरतओं के संबंध में श्री एस.एफ.एम. अली, अधीक्षण-अभियन्ता के विरुद्ध गठित विभागीय जांच के संबंध में।	प्रथम/(35)/96	स्थगित किया गया।



2	3	4
<p>स्थायी भण्डारकर्ता, अभिलेखापाल, पुस्तकालयाध्यक्ष, अनुवादकर्ता, मुख्य रिपिकर्ता तथा सहायक श्रेणी-1 (प्रवर वर्ग सहायक) वेतनमान 1350-2200 से मुख्य सहायक रु 1400-2600 के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्रता अवधि 03 वर्ष करने हेतु सेवा विनियमावली में संशोधन किये जाने के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(36)/96</p>	<p>स्थगित किया गया।</p>
<p>श्री बी. वी. पन्त, मानचित्रक को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(37)/96</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>
<p>श्री महेश चन्द्र रस्तोगी, आशुलिपिक को उनके पुत्र के इलाज हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(38)/96</p>	<p>स्वर्ण नख्खम होम का रु 450/- के व्यय वाउचर के अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।</p>
<p>श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, सहायक अभियन्ता के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(39)/96</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>
<p>परिषद की निष्प्रयोज्य वाहनों के विरुद्ध नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।</p>	<p>प्रथम/(40)/96</p>	<p>पूर्व में क्रय किये गये तीन वाहनों का अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त दो कार व एक जिप्सी क्रय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>परिषद में नियुक्त लेखपालों को रजस्व परिषद में कार्यरत लेखपालों की भौति वेतनमान की स्वीकृति।</p>	<p>प्रथम/(41)/96</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>
<p>परिषद के कतिपय संवर्गों को सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(42)/96</p>	<p>स्थगित किया गया।</p>
<p>पंजीकरण धनराशि में वृद्धि किये जाने एवं तदनुसार पूर्व पंजीकृत आवेदकों से अन्तर धनराशि जमा कराने के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(43)/96</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>
<p>परिषद द्वारा आर्बिट्रल सम्पत्तियों के विरुद्ध भुगतान में विलम्ब होने पर देय अतिरिक्त ब्याज के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(44)/96</p>	<p>स्थगित किया गया।</p>
<p>परिषद की मझोला योजना सं0-4(भा-1) मुरादाबाद में अधिग्रहीत खसरा सं0-329 रकबा 1.10 एकड़ सिंग फील्ड की भूमि अर्जित मुक्त किये जाने के संबंध में।</p>	<p>प्रथम/(45)/96</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>



२	३	४
४६. लोहियानगर विस्तार योजना लखनऊ में ७२.८५ एकड़ भूमि के लिए ट्रक सीवर एवं इस योजना के प्रथम चरण में विकास की जा रही ४१.९५ एकड़ भूमि के ब्रान्च सीवर कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(४६)/९६	अनुमोदित किया गया ।
४७. परिषद की जागृति विहार यो० सं०-६, मेरठ में स्थित स्वयं वित्त पोषित योजनान्तर्गत भवन सं०-५३४/५ के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(४७)/९६	अनुमोदित किया गया ।
४८. उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की लिपिकीय सेवा विनियम-१९८० के प्रस्तर-५(क)(७) में संशोधन ।	प्रथम/(४८)/९६	स्थगित किया गया ।
४९. वित्तीय वर्ष १९९५-९६ में माह २/९६ तक परिषद का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण ।	प्रथम/(४९)/९६	स्थगित किया गया ।
५०. परिषद की इन्दिरानगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्रीमती मालती की भूमि के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(५०)/९६	इस प्रकरणके विभिन्न पहलुओं का शीघ्र परीक्षण कर संस्तुति प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए ।
५१. स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत इन्दिरानगर योजना लखनऊ में आवंटित भवन सं०-सी-२००/२१ प्रकार ५०१(७१/२४८)सेमी फिनिश के संबंध में ।	प्रथम/(५१)/९६	अनुमोदित किया गया ।

  
 आचार्य आयुक्त

युवा का गया  
 28.3.96  
 आध्यक्ष